बियानी शिक्षण समिति
संघ विधान–पत्र

1. **संस्था का नामः–** इस संस्था का नाम **बियानी शिक्षण समिति** है व रहेगा।

2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :** **आर–4, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.)**[1] कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः–** संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

   (i). शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों, **विश्वविद्यालय एवं**[2] छात्रावासों का निर्माण, विस्तार, संचालन एवं प्रबन्ध करना।

   (ii). साक्षरता के सरकारी, गैर सरकारी योजनाओं में सहयोगी बनना; स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार करना, प्रोढ़ एवं मुख्यतः महिला शिक्षा के लिये कार्य करना। कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था करना।

   (iii). गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध करवाना व छात्र–वृत्तियां देना।

   (iv). विद्यालयों में उपकरण, खेलकूद की समुचित व्यवस्था, पुस्तकों हेतु सहयोग विभिन्न विषयों पर सेमीनार व गोष्ठियां आयोजित करना।

   (v). विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालयों का निर्माण कर प्रबन्ध एवं संचालन करना।

   (vi). सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करना एवं जन साधारण की सुविधा के लिये उपयोग में लेना।

   (vii). बायोटेक्नॉलोजी एवं नेनो टेक्नोलॉजी[3] विषय पर रिसर्च एवं डवलपमेंट[4] हेतु लेबोरेट्री एवं अन्य सुविधाएं जुटाना।

   (viii). विद्यार्थियों[5] के विकास हेतु xxxxx[6] छात्रावासों का निर्माण कर, प्रबन्ध एवं संचालन करना।

   (ix). आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रयास करना।

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

S Biyani
सचिव

Neeta
कोषाध्यक्ष

(x). पशुपालन शिक्षा, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा, कृषि शिक्षा के विकास हेतु प्रचार प्रसार के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों आदि का निर्माण, विस्तार एवं संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xi). पशुपालन शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रशिक्षण व व्यावहारिक ज्ञान हेतु पशु अस्पताल आदि का निर्माण कर संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xii). ट्यूरिज्म शिक्षा के विकास व प्रसार के लिए विद्यालय, महाविद्यालय एवं छात्रावासों आदि का निर्माण, विस्तार, संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xiii). ट्यूरिज्म शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण व व्यावहारिक ज्ञान हेतु रिसोर्ट एवं होटल की स्थापना कर प्रबन्धन व संचालन करना[7]।

(xiv). विधि विषयक के विकास एवं प्रचार–प्रसार के लिए विधि महाविद्यालय एवं छात्रावास आदि का निर्माण, विस्तार, संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xv). शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल ट्यूरिज्म की स्थापना करना[7A]।

(xvi). उपरोक्त वर्णित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजि बैंकों/सरकारी संस्थाओं/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं/निजी संस्थाओं/विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों/विधिक व्यक्तियों से अनुदान/सहयोग/ऋण प्राप्त करना एवं समय–समय पर उसकी अदायगी करना है[8]।

(xvii) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं से अनुबन्ध करना, संसाधनों का विनिमय करना, सदस्यता इत्यादि प्राप्त कर शिक्षा को बढ़ावा देना।

(xviii). समस्त वो कार्य जो शिक्षा के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में आते हैं, को करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्री राजीव बियानी पुत्र स्व. श्री जे.के. बियानी	प्रोफेशनल	जयपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. संजय बियानी	प्रोफेसर	जयपुर	सचिव
3.	डॉ. मनीष बियानी	रिसर्च प्रोफेशनल (बायोटेक्नोलॉजी)	जयपुर	उपाध्यक्ष
4.	डॉ. श्रीमती नीता माहेश्वरी पुत्री स्व. श्री जे.के. बियानी	प्रोफेसर	जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	डॉ. बालकृष्ण माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामेश्वर लाल माहेश्वरी	प्रोफेसर	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
6.	डॉ. अनिल मान्धना पुत्र श्री गुलाबचन्द मान्धना	प्रोफेसर	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
7.	डॉ. श्रीमती मधु बियानी पुत्री श्री सीताराम अजमेरा	डॉक्टर	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्रीमती सुजाता बियानी पुत्री श्री महेश लढ्ढा	शिक्षक	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
9.	श्रीमती प्रियंका बियानी पुत्री श्री विनोद माहेश्वरी	शिक्षक	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
10.	श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री श्री बी.डी. काबरा	गृहिणी	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
11.	श्री ज्ञान चन्द सोमानी पुत्र श्री मंगल चन्द सोमानी	व्यवसायी	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
12.	श्री राजीव सोगानी पुत्र श्री हरक चन्द सोगानी	प्रोफेशनल	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
13.	श्री शिशुपाल शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा	शिक्षक	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
14.	xxxxxxxxx9 xxxxxxxx9	xxxxxxxx9	xxxxxxxx9	xxxxxxxx9
15.	xxxxxxxx10 xxxxxxxx10	xxxxxxxx10	xxxxxxxx10	xxxxxxxx10
16.	श्रीमती सरोज[11] पत्नि श्री ओमप्रकाश	गृहिणी	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य
17.	डॉ. सर्वेश जोशी[12] पुत्र श्री पी.एल. जोशी	डॉक्टर	जयपुर	कार्यकारिणी सदस्य

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958
की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थ
विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो
पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. ....
तक है, की सत्यप्रति है।
1 नकल देने की दिनांक ...जयपुर 15/9/17
2 नकल तैयार करने
वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाऐं

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

SBiyani
सचिव

Neeta
कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम व्यवसाय व पते निम्न प्रकार हैं, इस परिवर्तित संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	श्री राजीव बियानी पुत्र स्व. श्री जे.के. बियानी	प्रोफेशनल	जयपुर	Rajiv Biyani
2.	डॉ. संजय बियानी पुत्र स्व. श्री जे.के. बियानी	प्रोफेसर	जयपुर	SBiyani
3.	डॉ. श्रीमती नीता माहेश्वरी पुत्री स्व. श्री जे.के. बियानी	प्रोफेसर	जयपुर	Neeta
4.	डॉ. बालकृष्ण माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामेश्वर लाल माहेश्वरी	प्रोफेसर	जयपुर	Balkrishna
5.	डॉ. मनीष बियानी पुत्र स्व. श्री जे.के. बियानी	रिसर्च प्रोफेशनल	जपुर	Manish
6.	डॉ. अनिल मान्धना पुत्र श्री गुलाबचन्द मान्धना	प्रोफेसर	जयपुर	Anil
7.	श्री कमलेश बंसल पुत्र श्री सत्यनारायण बंसल	प्रोफेशनल	अजमेर	[illegible]
8.	श्री मदनमोहन काबरा पुत्र श्री बी.डी. काबरा	व्यवसायी	भीलवाड़ा	[illegible]
9.	श्रीमती सरोज पत्नि श्री ओमप्रकाश	सर्विस	जयपुर	Saroj
10.	डॅ. श्रीमती मधु बियानी पुत्री श्री सीताराम अजमेरा	डॉक्टर	जयपुर	Madhu
11.	श्री अंशु भार्गव पुत्र श्री सतीश भार्गव	व्यवसायी	जयपुर	A.Bhargava
12.	श्रीमती सुजाता बियानी पुत्री श्री महेश लढ्ढा	प्रोफेशनल	जयपुर	Sujata
13.	श्रीमती प्रियंका बियानी पुत्री श्री विनोद माहेश्वरी	शिक्षक	जयपुर	Priyanka
14.	श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री श्री बी.डी. काबरा	गृहिणी	कुचामन सिटी	पुष्पा बियानी
15.	श्री ज्ञान चन्द सोमानी पुत्र श्री मंगल चन्द सोमानी	व्यवसायी	जयपुर	G.C.Somani
16.	श्री रमेश चन्द लढ्ढा पुत्र श्री आर.एस. लढ्ढा	व्यवसायी	जयपुर	R.C.Laddha
17.	श्री राजीव सोगानी पुत्र श्री हरक चन्द सोगानी	प्रोफेशनल	जयपुर	R.Sogani
18.	श्री शिशुपाल शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा	शिक्षक	जयपुर	शिशुपाल
19.	श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा	सर्विस	जयपुर	[illegible]
20.	डॉ. सर्वेश जोशी पुत्र श्री पी.एल. जोशी	डॉक्टर	जयपुर	Sarvesh
21.	श्री विनोद माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाब चन्द मान्धना	व्यवसायी	जयपुर	Vinod.

Rajiv Biyani — अध्यक्ष SBiyani — सचिव Neeta — कोषाध्यक्ष

बियानी शिक्षण समिति
विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नामः–** इस संस्था का नाम **बियानी शिक्षण समिति** है व रहेगा।

2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :** **आर–4, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.)**[1] कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः–** संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

   (i). शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों, **विश्वविद्यालय एवं**[2] छात्रावासों का निर्माण, विस्तार, संचालन एवं प्रबन्ध करना।

   (ii). साक्षरता के सरकारी, गैर सरकारी योजनाओं में सहयोगी बनना, स्वतंत्र कार्यक्रम तैयार करना, प्रोढ़ एवं मुख्यतः महिला शिक्षा के लिये कार्य करना। कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था करना।

   (iii). गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध करवाना व छात्र–वृत्तियां देना।

   (iv). विद्यालयों में उपकरण, खेलकूद की समुचित व्यवस्था, पुस्तकों हेतु सहयोग विभिन्न विषयों पर सेमीनार व गोष्ठियां आयोजित करना।

   (v). विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालयों का निर्माण कर प्रबन्ध एवं संचालन करना।

   (vi). सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करना एवं जन साधारण की सुविधा के लिये उपयोग में लेना।

   (vii). बायोटेक्नॉलोजी एवं नेनो टेक्नोलॉजी[3] विषय पर रिसर्च एवं डवलपमेंट[4] हेतु लेबोरेट्री एवं अन्य सुविधाएं जुटाना।

   (viii). विद्यार्थियों[5] के विकास हेतु **xxxxx**[6] छात्रावासों का निर्माण कर, प्रबन्ध एवं संचालन करना।

   (ix). आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रयास करना।

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

S Biyani
सचिव

Neetu
कोषाध्यक्ष

(x). पशुपालन शिक्षा, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा, कृषि शिक्षा के विकास हेतु प्रचार प्रसार के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों आदि का निर्माण, विस्तार एवं संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xi). पशुपालन शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रशिक्षण व व्यावहारिक ज्ञान हेतु पशु अस्पताल आदि का निर्माण कर संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xii). ट्यूरिज्म शिक्षा के विकास व प्रसार के लिए विद्यालय, महाविद्यालय एवं छात्रावासों आदि का निर्माण, विस्तार, संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xiii). ट्यूरिज्म शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण व व्यावहारिक ज्ञान हेतु रिसोर्ट एवं होटल की स्थापना कर प्रबन्धन व संचालन करना[7]।

(xiv). विधि विषयक के विकास एवं प्रचार–प्रसार के लिए विधि महाविद्यालय एवं छात्रावास आदि का निर्माण, विस्तार, संचालन कर प्रबन्ध करना[7]।

(xv). शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल ट्यूरिज्म की स्थापना करना[7A]।

(xvi). उपरोक्त वर्णित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजि बैंकों/सरकारी संस्थाओं/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं/निजी संस्थाओं/विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों/विधिक व्यक्तियों से अनुदान/सहयोग/ऋण प्राप्त करना एवं समय–समय पर उसकी अदायगी करना है[8]।

(xvii) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं से अनुबन्ध करना, संसाधनों का विनिमय करना, सदस्यता इत्यादि प्राप्त कर शिक्षा को बढ़ावा देना।

(xviii). समस्त वो कार्य जो शिक्षा के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में आते हैं, को करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

S Biyani
सचिव

Neeta
कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता:

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
1– संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2– बालिग हों।
3– पागल, दीवालिया न हों।
4– संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5– संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण:–

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–
1– संरक्षक
2– सम्माननीय
3– विशिष्ठ
4– साधारण

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:–

उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:–
1– संरक्षक राशि 1101/– आजन्म
2– विशिष्ठ राशि 571/– आजन्म
3– सम्मानीय राशि 251/– वार्षिक
4– साधारण राशि 121/– वार्षिक

7. सदस्यता से निष्कासन:–

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–
1– मृत्यु होने पर
2– त्याग–पत्र देने पर
3– संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4– प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णग अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :–

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–
1– प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2– वार्षिक बजट पारित करना।
3– प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना
4– संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

S Biyani
सचिव

रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

Neeta
कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5– संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

6– विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों व नगर पालिका अध्यक्ष/**नगर निगम महापौर**[13] को **विशेष** आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जावेगा।

11. कार्यकारिणी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, **जिसके** पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष–एक   2. उपाध्यक्ष–एक   3. XXXXX[14]

4. कोषाध्यक्ष–एक   5. XXXXX[15]   6. संयुक्त सचिव[16] – एक

7. सचिव[17] – एक

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक संयुक्त सचिव और **एक** सचिव कुल 5 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचनः–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2– चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3– चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

4– चुनाव अधिकारी द्वारा सदस्यों को 7 दिवस में पूर्व सूचना दी जावेगी एवं चुनाव प्रक्रिया एक ही दिन में सम्पूर्ण कर चुनाव परिणाम की घोषणा की जावेगी

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

सचिव

Neeta
कोषाध्यक्ष

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1– सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2– वार्षिक बजट तैयार करना।

3– संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4– वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5– साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6– कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7– संस्था की सम्पत्तियों (चल/अचल) को राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजि बैंकों/सरकारी संस्थाओं/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं/निजि संस्थाओं/विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों/विधिक व्यक्तियों आदि को बंधक/गिरवी रख कर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना एवं जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजि बैंकों/सरकारी संस्थाओं/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं/निजि संस्थाओं/विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों/विधिक व्यक्तियों आदि से ऋण लेना और उसकी अदायगी करना[18]।

8– अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें:–

1– कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2– बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3– बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व में दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्यः–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1– अध्यक्ष :

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6. **सरकारी प्रतिभूतियों/प्रतिभूतियों में निवेश करना और ऐसे खातों का संचालन करना[19]।**
7. **अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना[20]।**

2– उपाध्यक्ष :

1– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2– प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3– **अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना[20]।**

3– **xxxxxx[21] :**

1. **xxxxxx[21]**
2. **xxxxxx[21]**
3. **xxxxx[x21]**
4. **xxxxxx[21]**
5. **xxxxxx[21]**
6. **xxxxxx[21]**
7. **xxxxxx[21]**

4– **सचिव :**

1. **xxxxxx[22]**
2. **बैठकें आहूत करना[22]।**
3. **कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना[22]।**
4. **आय–व्यय पर नियंत्रण करना[22]।**
5. **वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना[22]।**
6. **संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना[22]।**
7. **पत्र व्यवहार करना[22]।**
8. **सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों करना[22]।**

9– **अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना[22]।**

5– **कोषाध्यक्ष**

1– वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2– दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3– चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4– अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
5– **अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना[23]।**

Rajeev Biyani
अध्यक्ष

SBiyani
सचिव

Neeta
कोषाध्यक्ष

16. संस्था का कोष :–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1– चन्दा
2– शुल्क
3– अनुदान।
4– सहायता
5– राजकीय अनुदान।
6– **xxxxxx**[24]

6A– ऋण आदि[24]

राष्ट्रीयकृत बैंकों / निजि बैंकों / सरकारी संस्थाओं / अर्द्धसरकारी संस्थाओं / सहकारी संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं / निजि संस्थाओं / विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों / विधिक व्यक्तियों आदि को बंधक / गिरवी रख कर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना एवं जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों / निजि बैंकों / सरकारी संस्थाओं / अर्द्धसरकारी संस्थाओं / सहकारी संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं / निजि संस्थाओं / विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों / विधिक व्यक्तियों आदि से[24]

16 A . संस्था के कोष का रखा जाना और लेन–देन[25]

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / निजि बैंक / सरकारी संस्थाओं / अर्द्धसरकारी संस्थाओं / सहकारी संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं / निजि संस्थाओं / विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों / विधिक व्यक्तियों आदि के पास सुरक्षित रखी जावेंगी[25]**।**

2– सचिव या कोषाध्यक्ष में से किसी एक तथा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से राष्ट्रीयकृत बैंकों / निजि बैंकों / सरकारी संस्थाओं / अर्द्धसरकारी संस्थाओं / सहकारी संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं / निजि संस्थाओं / विदेशी संस्थाओं अथवा प्राकृतिक व्यक्तियों / विधिक व्यक्तियों आदि के साथ लेन–देन संभव होगा[25]**।**

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः–

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंग[26]।

1– अध्यक्ष
2– सचिव
3– कोषाध्यक्ष

Rajeev Bnjani
अध्यक्ष

सचिव

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

कोषाध्यक्ष

18. संस्था का अंकेक्षण :— अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी। संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तनः— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटनः— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार, संस्थाओं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षणः— रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण / जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) बियानी शिक्षण समिति की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत कार्यालय में दाखिल कराये गये दस्तावेज की पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .... तक है, की सत्य प्रतिलिपि है।
1 नकल देने की दिनांक ....
2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....
रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

1. समिति के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन समिति द्वारा दिनांक 25.08.2005 को किया गया और समिति द्वारा इस बाबत् सूचना कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दिनांक 31.08.2005 को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 1)

2 समिति के उद्देश्य के बिन्दु सं. (i) में उक्त संशोधन समिति द्वारा दिनांक 10.04.2010 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर पारित किया गया और इस बाबत् सूचना दिनांक 13.05.2010 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 2)

3 एव 4 समिति के उद्देश्य के बिन्दु सं. (vii) में उपरोक्त संशोधन समिति द्वारा दिनांक 26.12.2009 को आयोजित अपनी साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर पारित किया गया और इस बाबत् सूचना दिनांक 30.12.2009 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 3)

5 समिति के उद्देश्य के बिन्दु सं. (viii) में महिलाओं शब्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर विद्यार्थियों शब्द का समावेश समिति द्वारा दिनांक 26.12.2009 को आयोजित अपनी साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर पारित किया गया और इस बाबत समिति द्वारा सूचना दिनांक 30.12.2009 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 4)

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

6. समिति के उद्देश्य के बिन्दु सं. (viii) में महिला छात्रावास वाक्य में **महिला** शब्द को पूर्णतः विलोपित करते हुए सिर्फ **छात्रावास** शब्द को समिति द्वारा दिनांक 26.12.2009 को आयोजित अपनी साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर यथावत रखा गया और इस बाबत सूचना दिनांक 30.12.2009 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 5)

7. समिति के उद्देश्य के बिन्दु सं. (x) लगायत (xvii) में विहित प्रावधान संस्था द्वारा दिनांक 10.04.2010 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर पारित कर समावेशित किये गये और इस बाबत सूचना दिनांक 13.05.2010 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 6)

7A समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में संघ विधान–पत्र के पैरा सं. 3 संस्था के उद्देश्य के तहत उपबिन्दु सं. (xv) का अंतःस्थापन उपरोक्तानुसार किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 18.06.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर शहर को दी जा चुकी है। संलग्न एनेक्सचर सं.

8. समिति के उद्देश्य खण्ड में बिन्दु सं. (xix) अंतःस्थापित किया गया जिसमें विहित प्रावधान संस्था द्वारा दिनांक 10.04..2014 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर पारित किये गये और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 7)

9 व 10 समिति के उपरोक्त कार्यकारिणी सदस्यों ने कार्यकारिणी सदस्य की सदस्यता से निवृत्त होने बाबत् सूचना समिति को दिनांक 22.01. 2014 को दी जिस पर समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित विशेष साधारण सभा की बैठक में इन कार्यकारिणी सदस्यों की कार्यकारिणी की सदस्यता से निवृत्ति के आवेदन पर विचार किया गया और प्रस्ताव पारित कर इन सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य के पद से निवृत्त किया गया और इस बाबत् सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 8)

11 व 12 समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य की सदस्यता समिति द्वारा दिनांक 07.07.2010 को आयोजित अपनी साधारण सभा कार्यवाही में प्रस्ताव लेकर प्रदान की गई और इस बाबत सूचना दिनांक 20.07.2010 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 9)

13. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर समिति के विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 10 के उप बिन्दु सं. 6 में शब्द नगर निगम महापौर अंतःस्थापित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 10)

14 व 15 समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा की बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 11 के 'कार्यकारिणी का गठन' शीर्षक के उप बिन्दु सं. 3 व उप बिन्दु सं. 5 में विहित पदाधिकारियों के पदनाम को विलोपित करते हुए उपरोक्त पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 11)

16 समिति द्वारा दिनांक 09.03.2012 को आयोजित अपनी साधारण सभा की बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 11 'कार्यकारिणी का गठन' शीर्षक के तहत उप बिन्दु सं. 6 संयुक्त सचिव–एक का अंतःस्थापन बाबत प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 15.03.2012. को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 12)

17. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा की बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 11 'कार्यकारिणी का गठन' शीर्षक के तहत उप बिन्दु सं. 7 सचिव–एक का अंतःस्थापन बाबत प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24. 07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न : एनेक्चर सं. 12)

18. समिति के विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 13 'कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य' के अन्तर्गत नया उप बिन्दु सं. 7 अंतःस्थापन बाबत प्रस्ताव समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष साधारण सभा की बैठक में पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर संख्या. 13)

19. समिति द्वारा दिनांक 22.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 15 'प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य' के तहत अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य के अन्तर्गत बिन्दु सं. 5 के बाद बिन्दु सं. 6 अंतःस्थापित बाबत् प्रस्ताव पारित किया और इस बाबत् सूचना दिनांक 03.01.2013 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर सं.14)

20. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 15 'प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य' के तहत अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य के अन्तर्गत बिन्दु सं. 6 के बाद बिन्दु सं 7 अंतःस्थापित बाबत् प्रस्ताव पारित किया और इस बाबत् सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर सं. 15)

21 समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 15 'प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य' के तहत महामंत्री पद और उसके अधिकार व कर्त्तव्य को पूर्णतः विलोपित करते हुए समाप्त कर दिया और इस बाबत् सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर सं. 16)

Rajeev Bijyani

22. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 15 'प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य' के तहत सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य के अन्तर्गत बिन्दु सं. 1 को पूर्णतः विलोपित किया गया और सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य के तहत उप बिन्द संख्या 2 लगायत 9 अन्तःस्थापित किये गये और इस बाबत् सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर सं. 17)

23. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 15 'प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य' के तहत कोषाध्यक्ष पद के अन्तर्गत उप बिन्दु संख्या 5 अंतःस्थापित किया गया और इस बाबत् सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचर सं. 18)

24. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 16 'संस्था का कोष' के उप बिन्दु सं. 6 को विलोपित करने बाबत और नया उप बिन्दु सं. 6A को उपरोक्तानुसार अंतःस्थापित करने बाबत प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचन सं. 19)

25. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) में नया बिन्दु सं. 16A का अंतःस्थापन (संस्था के कोष का रखा जाना और लेन देन) उपरोक्तानुसार किये जाने बाबत प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचन सं. 20)

26. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में विधान (नियमावली) के बिन्दु सं. 17 'कोष संबंधी विशेषाधिकार' के अन्तर्गत अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की एकमुश्त स्वीकृत कर सकने वाली राशि में विहित रूपये से स्वीकृत कर सकने की सीमा समाप्त करने और राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराये जाने के प्रावधान को समाप्त किया गया और आवश्यकतानुसार राशि बिना किसी सीमा के एकमुश्त स्वीकृत करने का प्रावधान प्रतिस्थापित करने बाबत प्रस्ताव पारित किया गया और इस बाबत सूचना दिनांक 24.07.2014 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचन सं. 21)

27. समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को आयोजित अपनी बैठक में संघ विधान–पत्र के उद्देश्य के बिन्दु सं. का अंतःस्थापन प्रस्ताव के अनुसार किया गया जिसकी सूचना दिनांक 24.07.14 को कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर (शहर) को दी जा चुकी है। (संलग्न एनेक्सचन सं. 22)

Rajiv Bijani SBijani Neete

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर